न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021

प्रार्थीगण

1. मदनलाल पुत्र शैसाराम
2. रमेश कुमार पुत्र शैसाराम
3. सुरेश कुमार पुत्र शैसाराम जातियान कीर निवासीयान चितरोडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. प्रहलादराम पुत्र मनरूपा
2. वालाराम वल्द मनरूपा
3. करमी वल्द मना
4. गवरी पत्नि करता
5. झमुदेवी पत्नि लखमा
6. नरसाराम वल्द लखमा
7. बगदी पुत्र लखमा
8. भावा वल्द मना
9. रूपाराम वल्द करता
10. हेमाराम वल्द करता
11. हरीराम वल्द करता जातियान कलबी निवासीयान चितरोडी तहसील रानीवाडा
12. भगवाना वल्द अदाजी
13. खंगाराम पुत्र अदाजी
14. जबराराम पुत्र करमीराम
15. जवानाराम पुत्र भगवानाराम
16. दीपाराम पुत्र अदाजी
17. पाताराम पुत्र अदाजी जातियान पुरोहित निवासीयान चितरोडी
18. शाखा सचिव राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा थान माताजी सुंधामाता
19. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री पुखराज विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 2 से 11 के अधिवक्ता श्री अमृतलाल कटारिया।
3. अप्रार्थी संख्या 12 से 17 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
4. अप्रार्थी संख्या 19 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 25.11.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा चितरोडी तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगणों के नाम दर्ज खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible]0 रकबा 1.62 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसके उत्तर दिशा मे खसरा नम्बर 416/[illegible] रकबा 0.08 हेक्टेयर किस्म शाही प्रथम 416/560 एवं खसरा नम्बर [illegible] के मध्य आम सार्वजनिक रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 469 से होकर खसरा नम्बर 418 अप्रार्थी संख्या 12 की खातेदारी आराजी से जूडा हुआ खसरा नम्बर 416/556 है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 13 से 17 के नाम रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 419 रकबा 0.44 हेक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम तथा खसरा नम्बर 420 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 3, 4, 8, 9, 10 के नाम दर्ज है। इस प्रकार खसरा नम्बर 421 रकबा 0.91 हेक्टेयर की कृषि भूमि 1 से 11 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 417 रकबा 0.55 हेक्टेयर खसरा नम्बर 418 रकबा 1.66 हेक्टेयर भगवाना पुत्र अदाजी पुरोहित के नाम दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थीगणों के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 416/560 रकबा 1.62 हेक्टेयर के उत्तर दिशा में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 416/556 रकबा 0.08 हेक्टेयर तथा उसके उत्तर दिशा में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 419, 420, 421 अप्रार्थीगण 1 से 11 के नाम अलग–अलग खसरा नम्बरांन की खातेदारी दर्ज होने से उक्त खेतों में चल रहे रास्तानुमा कृषि भूमि खसरा नम्बर 417, 418 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 12 की कृषि भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 469 आम रास्ते से आने वाली रास्ता रूपी भूमि दर्ज है। जिसके सीमा विवाद अप्रार्थीगणों एवं प्रार्थीगणों के मध्य चल रहा है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 17 द्वारा जान बुझकर प्रार्थीगणों की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 416/560 रकबा 1.62 की उत्तर दिशा की सीमा की माठ तोडकर उसके उत्तर दिशा में स्थित रास्तेनुमा आराजी खसरा नम्बर 416/556 रकबा 0.08 हेक्टेयर को जबरदस्ती माठ तोडकर अवैध कब्जा कर अप्रार्थी संख्या 1 से 11 ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 419, 420 व 421 की दक्षिणी माठ तोडकर अपनी खातेदारी भूमि में मिलाकर अवैध अतिक्रमण करते हुए उक्त रास्तानुमा जमीन खसरा नम्बर 416/556 का रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि को अवैध कब्जा करने के बाद प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 416/560 रकबा 1.62 हेक्टेयर में से आवागमन हेतु रास्ते रूपी जमीन उपयोग में जबरन लेने पर उतारू हैं जिस पर मौके पर पक्षकारानों के मध्य भंयकर विवाद एवं अशान्ति उत्पन्न होकर लडाई टंटा फसाद करने लगे है, जिसमें मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया।

2. प्रार्थीगणों ने तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 416/560 रकबा 1.62 हेक्टेयर की सीमाज्ञान कर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 25.02.2021 को आदेश क्रमांक 85 पर हल्का पटवारी चितरोडी भूमि पैमाईश करवाने बाबत आदेश पारित हुए जिस पर दिनांक 15.03.2021 को हल्का पटवारी चितरोडी मौके पर मौजा चितरोडी जाकर खसरा नम्बर 416/560 रकबा 1.62 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 416/556 तथा खसरा नम्बर 419, 420, 421 के बीच की सीमा के विवाद का निस्तारण हेतु सीमाज्ञान किया गया तथा मौके पर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवाने हेतु खसरा नम्बर 416/560 की उत्तरी लोर पर निशानात करवाये गये परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 उक्त सीमा चिन्ह के स्वीकार नही किया तथा मौके पर सीमा विवाद उत्पन्न हो गया, तब स्थाई सीमाचिन्ह पत्थर खडे कर तारबंदी नही करने की जिस पर विवाद होने से सीमा के विवाद का निस्तारण नही निपट सका। इसलिए धारा 111 ,128 आर.एल.आर एक्ट के प्रावधानों के तहत न्यायालय हाजा द्वारा विवादीत भूमि की उत्तरी लोर पर सीमाज्ञान हेतु स्थाई पत्थर गड्डी कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत है। तथा निवेदन है कि मौजा चितरोडी तहसील रानीवाडा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 416/560 रकबा 1.62 हैक्टेयर की उत्तरी लोर पर खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested

461/556 रकबा 1.62 हेक्टेयर की उत्तरी लोर पर खसरा नम्बर 461/556 रकबा 0.08 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 419, 420, 421 के बीच की माठ के विवाद का स्थाई निस्तारण हेतु स्थाई सीमाज्ञान पैमाईश कर स्थाई पत्थर गड्डी कायम कर निशानात पर पत्थर लगवाकर लाल स्याही से पत्थरों पर नंबर लगवाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 416/560 के उत्तरी लोर पर तारबंदी करवाने व स्थाई पत्थर गड्डी के आदेश पुलिस इमदाद के साथ न्यायहित में अप्रार्थीगण के विरूद आदेश फरमावें एवं न्याय करावें।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 व 18 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 12 से 17 की ओर से जवाब पेश किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 12 से 17 की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश जवाब में प्रार्थीगण के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब दिया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 13 व 17 ने प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी सेसाराम पुत्र दलाराम कौम कीर साकिन चितरोडी तहसील रानीवाडा से मौजा चितरोडी तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 416 रकबा 3.30 हेक्टेयर आराजी में से 0.08 हेक्टेयर आराजी जरिये पंजीबद्व बैचान दस्तावेज दिनांक 28.09.1995 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा अप्रार्थी संख्या 13 व 17 की खरीद सुदा उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 416/556 रकबा 0.08 हेक्टेयर दर्ज की गई। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 13 व 17 ने वक्त खरीद ही मौके पर कब्जा दिनांक 28.09.1995 को प्राप्त कर लिया था तथा वक्त खरीद से आज तक मौके पर अप्रार्थी संख्या 13 से 17 काबिज है तथा मौके पर प्रार्थीगण की आराजी व अप्रार्थी संख्या 13 से 17 की आराजी के बीच पुरानी माठ कायम हैं तथा लोर पर पुराने वृक्ष खड़े है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 13 से 17 ने कब्जा सुदा आराजी की जानकारी प्रार्थीगण को 12 वर्षो से अधिक समय से है, तथा प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी सेसाराम ने अप्रार्थी संख्या 13 व 17 को वक्त खरीद मौके पर जहां कब्जा सुपुर्द किया था उसी जगह अप्रार्थी संख्या 13 से 17स काबिज हैं। अप्रार्थी संख्या 13 से 17 के उक्त आराजी में कब्जे की जानकारी प्रार्थीगण व हर आम व खास को होने से उक्त आराजी के अप्रार्थी संख्या 13 से 17 एडवर्स पजैसन के सिद्वान्त के अनुसार मालिक हो चूके है। प्रार्थीगण प्रकरण हाजा के जरिये अप्रार्थी संख्या 13 से 17 को उक्त कब्जा सुदा आराजी से बेदखल करने की मंशा पाले हुए है। इसलिये कब्जा संबंधित विवाद की सुनवाई का श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 12 से 17 की पीठ पीछे कोई पैमाईश करवाई हो तो उसकी जानकारी जवाब देहन्दा को नहीं है। यहां यह वर्णित किया जाना भी उचित होगा कि प्रार्थीगण व जवाब देहन्दा की आराजी की सीमा का कोई विवाद नहीं हैं, मौके पर पूरानी माठ व लोर हैं तथा वक्त खरीद से अप्रार्थी संख्या 12 से 17 उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण प्रकरण हाजा के जरिये अप्रार्थी संख्या 13 से 17 को उनकी कब्जा सुदा आराजी से वंचित करने पर तुल है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 12 के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र सीमा [illegible] संबधी कोई सबूत पेश किए बिना पेश किया है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 12 के विरूद्व चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारीज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested

5. अप्रार्थी संख्या 2 से 11 के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 19 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता व भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 17 के मध्य सीमा विवाद होने से पत्थर गड्डी करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी जवाब के तथ्यों को दोहरान किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 11 की ओर से अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

6. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण के जवाब व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.03.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा द्वारा भी बहस भी सीमाविवाद होना स्वीकर किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 416/560 व 461/556 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा चितरोडी पटवारी मण्डल चितरोडी के खसरा नम्बर 416/560 व 461/556 रकबा क्रमश 1.62, 0.08 हैक्टेयर की आराजी की पर पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर